

समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड

बौने व्यक्तियों (4 फुट से कम ऊँचाई) के भरण पोषण अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्र

समाज कल्याण की वेबसाईट

www.socialwelfare.uk.gov.in

- * आवेदक का नाम कु०/श्री/श्रीमती
- * पिता/पति का नाम श्री
- * स्थायी पता-.....
मोहल्ला/ग्राम.....
पोस्टऑफिस-.....
ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....
न्याय पंचायत विकासखण्ड.....
तहसील..... जनपद.....

नवीनतम फोटो जो ग्राम प्रधान/सदस्य
क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत
अध्यक्ष/सभासद नगरपालिका/ग्राम
विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापित

- * बौने की ऊँचाई..... उम्र 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए
(बौने व्यक्ति की ऊँचाई के सम्बन्ध में सम्बन्धित विकासखण्ड/तहसील के सहायक समाज कल्याण अधिकारी की
जॉच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से अंकित होनी है)
प्रमाणित किया जाता है कि कु०/श्री/श्रीमतीजिनकी ऊँचाई 4
फुट से कम है, बौना व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायता योजना हेतु पात्रता की श्रेणी में हैं ।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

- * जाति
(उपरोक्त में से कोई एक प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें)

- * जन्मतिथि/आयु
(भाग-दो परिवार रजिस्टर की नकल प्रति या शैक्षिक अभिलेख का प्रमाण-पत्र की प्रति)

- * आवेदक का डाकघर/ई बैंकिंग सुविधायुक्त बैंक शाखा का नाम एवं पता.....

* खातासंख्या

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* IFSC Code No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

डाकघर/ बैंक शाखा पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट फोटो प्रति संलग्न करें।

- * वोटर पहचान पत्र संख्या

- * आधार नम्बर

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- * स्वयं अथवा निकट संबंधी का मोबाइल नम्बर

आवेदक द्वारा घोषणा-

मैं कु०/श्रीमती/श्रीघोषणा

करती/करता हूँ कि आवेदन-पत्र में दी गयी सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं। किसी भी असत्य या छिपायी गयी सूचना के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगी/रहूँगा। किसी भी बिन्दु पर दी गयी असत्य सूचना के लिये मैं पेंशन के रूप में प्राप्त धनराशि को भू-राजस्व के रूप में राजकोष में जमा करूँगी/करूँगा।

दिनांक.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

ग्रामीण क्षेत्र के लिये

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, के हस्ताक्षर, नाम सहित एवं मुहर

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर, नाम सहित एवं मुहर

शहरी क्षेत्र के लिये

सहायक समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर

उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर

नोट-

* सम्बन्धित कालम अनिवार्य रूप से भरे जाने हैं।

- सम्बन्धित कालम ऐच्छिक/उपलब्धता के आधार रूप से भरे जाने हैं।